कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम मंत्रालय , भारत सरकार)

भूमिका

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 संविधि के अंतर्गत 1952 में स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में सब से बडा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यवस्था कर रहा है ।

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना
- कर्मचारी पेंशन योजना
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

इन तीनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सेवा के दौरान श्रमिकों में बचत की भावना जागृत करना है, तथा सेवानिवृत्त होने के बाद उनके हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करना और यदि काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करना है। ये योजनाएँ अब कार्यक्षेत्राधीन लाए गए उद्योगों तथा अन्य स्थापनाओं के श्रमिकों को सामजिक सुरक्षा तथा अन्य लाभ प्रदान करती हैं।

योजनाएँ 180 वर्ग के उद्योगों, जो अधिनियम की धारा 1 की जरूरतों को पूरा करते हों अर्थात जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हो तथा स्वेच्छा से अधिनियम के अधीन आने का विकल्प देने वाले उद्योगों पर लागू होती है ।

निम्न तालिका तीनों कार्यक्रमों की झलक प्रस्तुत करती है।

तालिका

	कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952	कर्मचारी पेंशन योजना 1995	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976
लाभ	• सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु पर जमा राशि एवं ब्याज। • भवन निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी आदि विशिष्ट खर्च केलिए आंशिक वापसी की अनुमति	• अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, अशक्तता पर मासिक लाभ/जीवित विधवा विधुर। बच्चों के लिए। • पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पूर्व के 12 महीनों के औसत वेतन तथा कुल सेवा के वर्ष पर आधारित । • न्यूनतम पेंशन अशक्तता/ बच्चे • परिवार पेंशन योजना के प्रतिभागियों को पूर्व सेवा लाभ।	• सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के पूर्व के 12 माह के औसत क.भ.नि. बकाया के समान राशि एक मुश्त दी जाती है यदि और क.भ.नि. राशि रु.50,000/- से कम हो। • दिनांक 08.01.2011 से यदि भविष्य निधि में औसत शेष रु. 50,000/- से अधिक है तो देय राशि रु.50,000/- के साथ रु.50,000/- से अधिक की राशि का 40% जोड़ने के बराबर होगी तथा उच्चतम सीमा रु.1,00,000/- होगी । इसके अलावा देय राशि पिछले 12 माह के वेतन के औसत के 20 गुणा (अधिकतम रु. 6,500) होगी, जो अधिक हो ।

अंशदान : नियोक्ता कर्मचारी सरकार	3.67% (175 उद्योगों के लिए) 1.67% (5 उद्योगों के लिए।) 12% (175 उद्योगों के लिए) 10% (5 उद्योगों के लिए) शून्य	8.33% शून्य 1.16%	0.5% शून्य शून्य
प्रशासनिक प्रभार : अछूट प्राप्त	1.10%	क.भ.नि.एवं क.पें.यो. के लिए दिया गया 1.10 में से आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है।	0.01%
निरीक्षण प्रभार छूट प्राप्त	0.18%	लागू नहीं	0.005%

संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन बनाया गया केंद्रीय न्यासी बोर्ड का समस्त पर्यवेक्षण तथा उसके द्वारा रचित नीतियों के अंतर्गत कार्य करता है जो एक त्रिपक्षीय निकाय है तथा जिस में केंद्रीय एवं राज्य सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा जिसकी अध्यक्षता केंद्र श्रम मंत्री करते हैं। संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है जो बोर्ड का पदेन सदस्य एवं सचिव भी हैं।

क्षेत्रीय समिति

केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अतिरिक्त क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है जो क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। क्षेत्रीय समिति भी एक त्रिपक्षीय समिति है जो निम्न विषयों पर परामर्श देती हैं।

(i) उन मामलों पर जिन्हें केंद्रीय बोर्ड समय-समय पर समिति को अपनी राय के लिए भेजें।

(ii) सामान्यत: उन सभी मामलों पर जो कि राज्य में स्कीम के प्रशासन से संबधित हों और विशेष रूप से निम्न मामलों पर (क) भविष्य निधि अंशदान और अन्य प्रभारों की वसूली की प्रगति (ख) अभियोजन मामलों का शीघ्रता से निपटान (ग) दावों का शीघ्र निपटान (घ) निधि के सदस्यों को वार्षिक लेखा विवरणियाँ प्रदान करना और (ड.) प्रत्याहरण के मामलों पर शीघ्र मंजूरी प्रदान करना।

नए रूप में गठित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केरल क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के नाम परिशिष्ट-'क' में दिए गए हैं।

क्षेत्रीय समिति की 74 वीं बैठक दिनांक 11.03.2013 को क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई।

क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय समितियाँ

तीनों योजनाओं के प्रशासन हेतु 40 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 83 उप-क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

केरल में इस समय कोषिकोड, कोच्ची, कण्णूर, कोटटयम और कोल्लम में 5 उप-क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

जिला कार्यालय

केरल में मून्नार, एलप्पी, त्रिच्चूर, कलपेट्टा और पालक्काड में पाँच जिला कार्यालय हैं।

ई–सेन्टर

सभी जिला कार्यालयों में ई-सेन्टर चालू है । सभी ई-सेन्टर संबंधित उ.क्षे.का. से संबंधित है । प्रत्येक सदस्य इन केन्द्रों से अपेक्षित जानकारी जैसे भ. निण् खाता की स्थिती और भ.नि. दावा, निपटाया हुए भ. नि. की राशि, चेक सं, आदि प्राप्त हो सकता है । उन्हें पेंशन के ब्यौरा भी मिल सकते हैं ।

सुविधा केंद्र

संगठन, सदस्यों की शिकायतों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। शिकायतों पर ध्यान देने तथा यथासमय उनका निवारण करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं। सदस्यों की शिकायतों/फरियादों का पंजीकरण कर पावती जारी की जाती है। शिकायतों का उच्च प्राथिमकता के आधार पर निवारण किया जाता है।

मानव संसाधन विकास

मानवशक्ति

क.भ.नि.संगठन यह बखूबी जानता है कि मानव संसाधन का विकास एवं प्रबंधन संगठनात्मक परिणाम एवं संगठन की उद्देश्य को प्राप्त करने केलिए अपेक्षित है। केरल क्षेत्र ने ग्राहकों को सक्षम सेवा प्रदान करने केलिए मानव संसाधन को बेहतर ढंग से प्रयोग किया है।

विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वीकृत की गई संख्या तालिका में दिया गया है ।

दिनांक 31.03.2013 को मानवशक्ति

तालिका

कर्मचारी का वर्ग	स्वीकृत संख्या	वर्तमान में कार्यरत
"क"	32	22
"ख"	290	212
"ग"	820	644
कुल	1142	878

प्रशिक्षण

नाटरस, नई दिल्ली तथा जोनल प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै में अधिकारियों एवं कर्मचारियों केलिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2012-2013 के दौरान निम्नलिखित पदधारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

1.	क्षे भ नि आ	5
2.	स भ नि आ	15
3.	प्र.अ/स.ले.अ	18
4.	अ.प	16
5.	एस. एस. ए	104
	कुल	158

कार्यालय मकान एवं स्टाफ क्वार्टेस

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम, उ.क्षे, कार्यालय, कोषिकोड एवं कोच्ची अपने ही मकान में कार्यरत है। तिरुवनंतपुरम कोच्ची एवं कोषिकोड में क्वार्टेस की सुविधा उपलब्ध है। कण्णूर एवं कोट्टयम में कार्यालय मकान एवं स्टाफ क्वार्टेस के निर्माण केलिए स्थान लेने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर लिया गया है।

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन में सर्वतोन्मुखी प्रगति प्राप्त कर ली है । सभी कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा निश्चित की गई लक्ष्य प्रापत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं । वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ निम्नप्रकार है:-

1. वर्ग "घ" से पदोन्नदत किए गए दो तीन कर्मचारियों को छोडकर शेष सभी अधिकारी/ कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त कर ली हैं। प्रशिक्षण दिलाने के लिए अपेक्षित बाकी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार सभी दस्तावेजों तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी द्विभाषी में जारी किया जा रहा है।

3. जैसे राजभाषा विभाग ने विनिर्दिष्ट किया है, वर्ष के दौरान मूल पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रह है।

4. केरल क्षेत्र में 24 कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें 250 स्टाफ सदस्य भाग लिए।

5. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप में आयोजित की जा रही हैं।

6. क्षेत्रीय कार्यालय में तथा विभागीय व्यवस्था पर यूनीकोड में हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

7. एम.टी.एस./ स्टाफ कार ड्राईवर/ प्लम्बर/ इल्क्ट्रीशियन को हन्दी पढ़ने, लिखने तथा बातचीत करने केलिए हिन्दी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

8. उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कोझिक्कोड तथा कण्णूर में हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टंकण परीक्षा केन्द्र स्थापित की गई है। तथा विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत टंकण प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

9. इस क्षेत्र के सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तक एवं पत्रिका खरीदी गई है तथा सभी कार्यालयों मंय हिन्दी पुस्तकों का अचछा सा संग्रह उपलब्ध हो रहा है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के पुस्तकालय में 1101 से भी ज्यादा हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

10. इस क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयोग एवं प्रचार के लिए स्थापित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित टिप्पण एवं आलेखन प्रतायोगिता में 60 स्टाफ तथा विभागीय नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत 139 स्टाफ सदस्यों ने नकद पुरस्कार जीता है। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए आयोजित वार्षिक निबंध लेखन प्रतियोगिता में 6 स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार जीता है।

11. सितंबर माह के दौरान क्षेत्रीय तथा सभी उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में "हिन्दी दिवस" तथा "हिन्दी पखवाडा" उचित ढंग से आयोजित की गई।

12. गृह पत्रिका " मलयनिधि" के 25 वें अंक को उत्तम पत्रिका के रूप में राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, केरल, द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ।गृह पत्रिका " मलयनिधि" के 25 वें अंक को वर्ष 2012 में ग क्षेत्र के उत्तम पत्रिका के रूप में मुख्यालय द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

13. 2/2013 में बैंगलूर में संपन्न हुई राज भाषा सम्मेलन में वर्ष 2012 के दौरान दक्षिण तथा दक्षिण - पश्चिम में राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार- राजभाषा शील्ड/प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

14. वर्ष 2013 जनवरी के संयुक्त हिन्दी पखवाडे के समापन समारोह में राजभाषा के उत्तम निष्पादन के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिक्कोड तथा कण्णूर के कार्यालयों को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

15. केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिन्दी निबंन्ध प्रतियोगता और टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्रीमती एस,.एस. मिनी और, क्षे.का., तिरु. तथा श्रीमती इन्दुलेखा नायर, उ.क्षे.का., कोच्ची को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

कल्याण योजनाएँ

कैन्टीन

क्षे.का.तिरुवनंतपुरम, उ.क्षे.का कोच्ची एवं कोषिकोड में विभागीय कैन्टीन कार्यरत है। उ.क्षे.का कण्णूर एवं कोट्टयम को कैन्टीन सुविधाएँ प्रदान की गई है। सभी कार्यालयों में स्टाफ मनोरंजन क्लब कार्यरत है।

स्टाफ कल्याण निधि

स्टाफ कल्याण निधि से निम्नलिखित वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है ।

1.	स्कोलरशिप/बुक अवार्ड	- रु 4,00,100/-
2.	स्टाफ मनोरंजनशाला	- रु 40,000
3.	होलिडे होम/गस्ट हाऊस	- शून्य
4.	अन्य कार्यकलाप/मृत्यु राहत	- रु 16,34,265/-
5.	स्टाम कैंटीन	- रु 50,000/-
	कुल	- रु 21,24,365/-

खेलकूद गतिविधियां

इंडोर खेल, अउटडोर खेल, एथलेटिक इवेंट, फुटबॉल एवं क्रिकेट मैच का वार्षिक खेलकूद हर वर्ष क्षेत्रीय स्तर/ज़ोनल स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा

केरल के महालेखाकार द्वारा तथा संगठन के आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्र की लेखा का लेखापरीक्षा किया गया। कोई विशेष त्रुटि या क्षेत्र के कार्यकलाप में कोई दोष नहीं पाया गया।

प्रशासनिक निरीक्षण का नियमित संचालन भी हो रहा है।

क्षेत्रीय वेबसाईट

क.भ.नि.सं, केरल क्षेत्र ने क्षेत्रीय वेबसाईट (www.epfkerala.in) का अनुरक्षण किया गया है, जिसमें स्टेकहोल्डरों को लाभदायक जानकारी प्रदान करती रहती है। अभिदायक, अपने आवेदन की स्थिति, पेंशन आदि से संबंधित मामलों की जानकारी मिलने के लिए साईट में प्रवेश किया जा सकता है। वेबसाईट में आवेदन की स्थिति का अद्यतन, रोज़ किया जाता है। बिक्री सूचना तथा निविदा सूचना भी website में upload किया जाता है। website का Software/Downloads अनुभाग downloadable form में सॉफ्टवयर उपलब्ध कराता है।

कियोस्क जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय में कियोस्क जानकारी स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा अभिदायकों को अपेक्षित जानकारी के बट्टन दबाने पर आवेदन की स्थिति, भविष्य निधि शेष आदि की जानकारी मिल सकती है।

सभी पदाधिकारियों ने नई अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और प्रशिक्षित किए गए हैं। सभी कार्यालयों में एक हेल्प डेस्क और सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान नियोक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सुविधा भी उपलब्ध हैं।

जन शिकायतों का निवारण

सदस्यों की शिकायतों को दूर करने में इस क्षेत्र के कर्मचारी एवं अधिकारी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। दावों के सजग एवं निरंतर अनुवीक्षण के फलस्वरूप क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों की संख्या में भारी गिरावट आई हैं, जो नीचे दिए गए आंकड़ों से प्रमाणित होगा :

तालिका

वर्ष	2010-2011	2011-2012	2012-2013
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	--	18	40
वर्ष के दौरान प्राप्त	888	714	1166
कुल	888	732	1206
वर्ष के दौरान निपटाए गए	870	692	1203
वर्ष के अंत में शेष	18	40	3
निपटान की प्रतिशतता	98	95	99.75

भविष्य में सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास लिया जा रहा है। यह उम्मीद किया जाता है कि इस दिशा में लिए गए प्रयास, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान संगठन के कार्य में प्रतिफलित होगा।